संगीत, नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग

बी0ए0 संगीत पंचम सेमेस्टर
सेमिनार हेतु निर्देशिका

पाठ्यक्रम का नाम: संगीत विषय में सेमिनार
सेमेस्टर/वर्ष: पंचम सेमेस्टर
पाठ्यक्रम का कोड: BAM(N)-S-331
परिचय: तीन वर्षीय संगीत में स्नातक के पंचम सेमेस्टर में संगीत के शिक्षार्थियों द्वारा 04 क्रेडिट एवं 100 अंकों का अकादमिक सेमिनार (BAM(N)-S-33) पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना है:

पाठ्यक्रम के उद्देश्य:

1. शिक्षार्थियों में शोध की मूलभूत समझ और विश्लेषण क्षमता विकसित करना।
2. संगीत विषय से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर स्वतंत्र शोध करने की क्षमता प्रदान करना।
3. संप्रेषण, विश्लेषण और नैतिक अनुसंधान क्षमता का विकास करना।
4. शिक्षार्थियों में गहन चिंतन, विश्लेषण और जिज्ञासा को बढ़ाना।
5. संगीत विषय पर गहराई से अध्ययन करना, नए निष्कर्ष या विचार प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास करना।
6. शोध निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से मौखिक और लिखित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता का विकस करना।

शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश:

1. शोध पत्र निर्माण हेतु **दो दिवसीय** कार्यशाला का आयोजन संगीत, नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग द्वारा किया जायेगा ।
2. यह कार्यशाला साहित्य समीक्षा, समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण अनुसंधान क्रिया विधि, डाटा संग्रह, डाटा विश्लेषण शोध पत्र लेखन के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होगी।
3. शिक्षार्थियों को सेमिनार हेतु विषय/समस्या संगीत, नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्यशाला में 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी।
5. सेमिनार हेतु अलग से तिथि का निर्धारण किया जाएगा।
6. शिक्षार्थी उपलब्ध कराए गए विषय पर 3000 से 4000 शब्दों में एक शोध पत्र तैयार कर विभाग को प्रेषित करेगा।
7. शिक्षार्थियों का मूल्यांकन शोध पत्र पर आधारित प्रस्तुतीकरण एवं मौखिक परीक्षा दो खंडों में किया जाएगा।

8. प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन 70 अंकों में से और मौखिक परीक्षा का मूल्यांकन 30 अंकों में से किया जाएगा।
9. शिक्षार्थी को प्रत्येक खंड में 35% अंकों के साथ पृथक रूप से उत्तीर्ण होना होगा।
10. हिंदी भाषा में शोध पत्र A4 पेपर पर कोकिला फॉन्ट में टाइप किया जाना होगा। फॉन्ट साइज 16 तथा लाइनों के मध्य अंतर 1.5 का होना चाहिए।
11. अंग्रेजी भाषा में शोध पत्र A4 पेपर पर न्यू रोमन फॉन्ट में टाइप किया जाना होगा। फॉन्ट साइज 14 तथा लाइनों के मध्य अंतर 1.5 का होना चाहिए।
12. शिक्षार्थी को शोध नैतिकता का पालन करना अनिवार्य होगा।